

छत्तीसगढ़ शासन  
खनिज साधन विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर-492002  
// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक मई, 2015

क्रमांक एफ 7-14/2013/12:: राज्य शासन एतद् द्वारा चीफ कन्ट्रोलर ऑफ माइन्स, भारतीय खान ब्यूरो नागपुर के परिपत्र क्रमांक 2/2010, दिनांक 06.4.2010 के पैरा-2 के बिन्दु-2 के तारतम्य में समस्त खनिजों के खनिज रियायतों के सीमा स्तम्भ का Differential Global Positioning System (डीजीपीएस) का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण करने के लिए तालिका में दर्शित संस्थानों को अधिमान्यता प्रदान करता है:-

क्र.	एजेंसी का नाम एवं पता
1	मेसर्स सौरभ सर्वेयिंग सर्विसेस, श्री रमेश मेश्राम, हाऊस नंबर 396/4, अंगुली मॉल के पास, बौद्ध विहार, नजूर लेआऊट कॉलोनी, बेजानबाग, जरीपटका, नागपुर(महाराष्ट्र)-440014
2	मेसर्स जियो सॉल्युशन(प्रा0) लिमिटेड, HIG-21, हुडको कालोनी, आमदीनगर भिलाई, जिला दुर्ग(छत्तीसगढ़)

2/ अधिमान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए शर्तें:-

- 2.1. The Survey Agency Shall Be responsible for the accuracy of the data collected and Survey.
- 2.2. Coordinates of boundry pillars shall be established in the World Geodetic System 1984 (WGS-84) Datum.
- 2.3. Each boundry pillar shall be surved using DGPS, at least 2 Hours observation for its ground position.
- 2.4. The maximum distance between any two successive pillars should not be more than 100 meter.
- 2.5. All corner pillar should be of pyramid shaped whith base of 1 meter and height of 2 meter and should be placed 1 mater above the ground and 1 meter below the ground.
- 2.6. Distance and bearing to the forward and backward pillars and latitudes and longitudes should be market on all the corner pillars.
- 2.7. डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु पारिश्रमिक का निर्धारण अधिमान्य प्राप्त संस्थान एवं खनिज रियायतधारी के मध्य आपसी समन्वय से किया जाएगा। किसी भी प्रकार का आपसी विवाद होने पर राज्य शासन उत्तरदायी नहीं होगा।
- 2.8. डीजीपीएस सर्वे कार्य के गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर या किसी भी प्रकार की कार्य संबंधी शिकायत पाये जाने पर जांच उपरांत राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि उक्त अधिकृत एंजेसी की मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
- 2.9. डीजीपीएस सर्वे के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अधिमान्यता प्राप्त संस्थान को करना होगा।

- 2.10 राज्य शासन द्वारा जारी यह अधिमान्यता 03 वर्ष के लिए होगी। समयावधि समाप्ति से 03 माह पूर्व अधिकृत एंजेसी नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकेगा।
- 2.11 भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा डीजीपीएस सर्वे के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना होगा।
- 3/ यह अधिमान्यता अधिसूचना जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए ही मान्य होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

उद्देश्य :-

(सुबोध कुमार सिंह)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
खनिज साधन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 7-14/2013/12

रायपुर, दिनांक मई, 2015

प्रतिलिपि:-

11 MAY 2015

1. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली,
2. कंट्रोलर जनरल, भारतीय खान ब्यूरो, सेकण्ड फ्लोर, ए-ब्लॉक, इन्दिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र)
3. चीफ कंट्रोलर ऑफ माईन्स, भारतीय खान ब्यूरो, सेकण्ड फ्लोर, ए-ब्लॉक, इन्दिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र)
4. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, छटवां तल, बी एवं सी -ब्लॉक, इन्दिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र)
5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ ब्लॉक-4, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर,
6. समस्त कलेक्टर, जिला ----- छत्तीसगढ़
7. मेसर्स सौरभ सर्वेयिंग सर्विसेस, श्री रमेश मेश्राम, हाऊस नंबर 396/4, अंगुली मॉल के पास, बौद्ध विहार, नजूर लेआउट कॉलोनी, बेजानबाग, जरीपटका, नागपुर(महाराष्ट्र)-440014 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
8. मेसर्स जियो सॉल्युशन(प्रा0) लिमिटेड, HIG-21, हुडको कालोनी, आमदीनगर भिलाई, जिला दुर्ग(छत्तीसगढ़) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
9. संचालक, शासकीय मुद्रणालय, गोन्दवारा, भनपुरी, रायपुर(छत्तीसगढ़) की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
10. श्री श्रीकांत राव, सहायक भौमिकी विद्, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, द्वितीय फ्लोर, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर। कृपया उक्त आदेश/अधिसूचना को संचालनालय की वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाईल रजिस्टर

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
खनिज साधन विभाग